उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे०मि० अपील वाद सं० 59/2021–22

बैजुन किस्कू..अपीलकर्त्ता

बनाम

निसपेटर किस्कू...उत्तरकारी

आदेश

19.04.2022

यह रे०मि० अपील वाद, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी०ए० वाद सं०–55/2014–15 में पारित आदेश दिनांक–12.08.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलवाद का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :–

मौजा ऊपर बड़ाचापर अंचल–रामगढ़ एक प्रधानी मौजा है। मौजा का अंतिम प्रधान नायकी किस्कू थे, जिनकी मृत्यु 25.07.2014 को हो चुकी है। उत्तरकारी अंतिम प्रधान के पुत्र है। अपीलकर्त्ता गेंजर प्रधान भीमा किस्कू के पोता है। अपीलकर्त्ता गेंजर प्रधान के पोता होने के नाते मौजा का प्रधानी पद पर संथाल परगना कास्ताकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत दावा करते है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को मौजा का अंतिम प्रधान का पुत्र होने के नाते संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) अपीलकर्त्ता गेंजर प्रधान के पोता है। मौजा के 16 आना रैयतों को इनके विरूद्ध कोई शिकायत नहीं है।

(2) उत्तरकारी प्रायः बंगाल में रहता है। वह मौजा में नहीं रहता है। इसलिए वह प्रधानी का कार्य नहीं कर सकता है।

(3) अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित दोनो प्रतिवेदन में अंतर है।

(4) उत्तरकारी दबंग, लाठीयल एवं पैसावाला है। उन्हें गलत तरीके से प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया।

अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अंचल अधिकारी, रामगढ़ से पत्रांक–744/रा दिनांक–31.07.15 एवं पत्रांक–515/रा0 दिनांक–18.07.2017 द्वारा प्राप्त है। अंचल अधिकारी द्वारा पत्रांक–515/रा0 दिनांक–18.07.2017 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उत्तरकारी को मौजा के 16 आना रैयतों के सहमति के आधार पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर बहाली हेतु अनुशंसा किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुशंसा के आधार पर मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

<u>प्रावधान</u>

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

1. Appointment of Pradhan-Non –Khas village-Provisions of Section 6 of the Act attracted-Office is hereditary in nature –Next heir who is fit, is entitled to be the Headman-Sub-Divisional Officer competent to ascertain the views of Jamabandi Raiyats of the village.

<u>निष्कर्ष</u>

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा का अंतिम नियुक्त प्रधान नायकी किस्कू थे जिनको अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–14/97–98 में नियुक्त किया गया था। उत्तरकारी अंतिम प्रधान के पुत्र है एवं उनका दावा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर बनता है।

अपीलकर्त्ता का दावा गेंजर प्रधान के वंशज के आधार पर है जिनके दावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चुँकि गेंजर

प्रधान के पश्चात् उत्तरकारी के पूर्वज प्रधान पद पर नियुक्त हो चुके है ऐसी स्थिति में संथाल परगना कारतकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर उत्तरकारी का दावा बनता है। अतः अपीलकर्त्ता का आवेदन स्वीकृत करने योग्य नहीं है।

आदेश

उपरोक्त वर्णित तथ्य एवं कानूनी प्रावधान के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। इसे बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

1307 ... 2/6/22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.06 12:08:45 +05:30
Location: 169.254.227.244